न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डूॅगरपुर जिला डूंगरपुर
पीठासीन अधिकारी सांवरलाल आबासरा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या –117/24
GSMS– 2024/239

दायर दिनांक 23.09.2024
निर्णय दिनांक 24.09.2025

1. अमरा पुत्र रामा
2. नवल पत्नी अमरा

जति पटेल उम्र वयस्क, निवासीयान थाणा तहसील व जिला डूंगरपुर

–प्रार्थीगण

बनाम

श्री लेण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार डूॅगरपुर तहसील व जिला डूंगरपुर(राज.)

–विपक्षी

प्रार्थना पत्र वास्ते मौजा थाणा पटवार हल्का थाणा तहसील व जिला डूंगरपुर खसरा नम्बर 4606/2774 रकबा 0.0100 हैक्टेयर का नक्शा चित्रण को शुद्ध व आदिनांक करने बाबत् अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री कृष्णराजसिंह, अधिवक्ता, –प्रार्थीगण की ओर से
2. पेरोकार सरकार, –विपक्षी की ओर से

–: निर्णय :–

प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार से है कि मौजा थाणा तहसील डूंगरपुर की वर्तमान आराजी खसरा संख्या 4906/2774 रकबा 0.0100 हेक्टेयर का राजस्व नक्शा में हुए त्रुटीपूर्ण चित्रण को विलोपित कराते हुऐ मौके की वास्तविक एवं भौतिक स्थिति अनुसार प्रार्थीगण जहॉ काबिज काश्त है उसी अनुरूप सही एवं शुद्ध चित्रण कराने निवेदन किया जाकर दिनांक 19.09.2024 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया गया। जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी के नाम नोटिस जारी किये गये। विपक्षी की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित। प्रकरण में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियत 2,10 जा.दी.सपठित धारा 151 जा.दी. का श्री पदमलाल, भगवान, रामजी पिसरान हकसी पटेल निवासी थाणा का नाम अप्रार्थीगण में जोडे जाने बाबत् दिनांक 23.01.2025 को प्रस्तुत किया गया। जिसका जवाब प्रस्तुत होने से प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। प्रकरण में मौका कमिश्नर रिपोर्ट तैयार प्रस्तुत करने तहसीलदार को लिखा गया। तहसीदार डूंगरपुर के पत्रांक 892 दिनांक 28.08.025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियत 2,10 जा.दी.सपठित धारा 151 जा.दी. प्रस्तुत दिनांक 23.01.2025 को चलाना नही चाहते हुए इसी स्टेज पर विड्रो किया जाना पत्रावली पर अंकित गया। जिससे उक्त प्रार्थना पत्र की कार्यवाही स्थगित की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी।

उपस्थित अधिवक्ता एवं परोकार सरकार को सूना गया। प्रकरण में तहसीलदार डूंगरपुर द्वारा पटवारी हल्का थाणा से जॉच कराई गई, पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौका पर्चा, नजरी नक्शा तैयार कर जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें वादग्रस्त आराजी नम्बर 4606/2774 रकबा 0.01 हेक्टेयर नया एवं गत जमाबंदी

उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर

संवत 2071–74 खसरा संख्या 4361/2399 रकबा 1 बिस्वा खातेदार श्री अमरा पिता रामा, नवल पत्नी अमरा पटेल निवासी थाणा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।

वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खसरा संख्या 4606/2774 रकबा 0.01 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी अमरा पिता रामा पटेल द्वारा बताए गए स्थान से अन्यत्र स्थान पर चित्रित/तरमीम है एवं गत सेटलमेंट रिकॉर्ड नक्शा लटठ़ा जीर्ण शीर्ण एवं कटा फटा होने से तुलनात्मक आराजी संख्या 4361/2399 रकबा 1 बिस्वा की तरमीम/चित्रण किस स्थान पर है, स्पष्ट नही है तथा नामान्तरण संख्या 2366 से अमरा पिता रामा, नवल पत्नी अमरा पटेल का नामान्तरण दर्ज किया गया था जिसमें नामान्तरण के साथ नक्शा चित्रण नही पाया गया। जिस स्थान पर अमरा पिता रामा पटेल वगैराह अपना नक्शा चित्रण चाह रहा है उस स्थान पर खसरा संख्या 2752 रकबा 0.16 हेक्टेयर खातेदार धुलजी पिता मावजी पटेल निवासी थाणा के नाम चित्रण/तरमीम है जोकी सेटलमेंट के द्वारा नक्शा चित्रण होना पाया गया तथा उक्त भूमि पर वर्तमान में श्री रामजी पिता हकसी पटेल वगैराह द्वारा काबिज होकर डागला बनाकर भैसे बांधी जा रही है व पूर्व दिशा में थाणा मेवाडा मार्ग से लगते हुये तीन अखुडे बनाकर गोवर डालना पाया गया व दक्षिण दिशा में वादग्रस्त भूमि पर पूर्व में अमरा पिता रामा पटेल द्वारा पत्थर की बाउण्ड्री बनायी पायी गयी। वादग्रस्त भूमि के वर्तमान मौका स्थिति अनुसार पूर्व दिशा में थाणा–मेवाडा मार्ग है, जबकि राजस्व रिकॉर्ड अनुसार समान स्थिति थाणा–मेवाडा मार्ग पर स्थित है व पश्चिम दिशा में धनजी पिता रामा पटेल का कच्चा मकान मौके पर है जबकि राजस्व रिकॉर्ड अनुसार धुला पिता मावजी पटेल खसरा संख्या 4434/2751 रकबा 0.01 हेक्टेयर व धुला पिता हकरा पटेल खसरा नम्बर 2743 रकबा 0.08 हेक्टेयर भूमि स्थित है तथा उत्तर दिशा में प्रकाश पिता भगु पटेल निवासी थाणा का मकान है जबकी राजस्व रिकॉर्ड अनुसार काली पत्नी गोवनजी पटेल खसरा नम्बर 2753 रकबा 0.08 हेक्टर है एवं दक्षिण दिशा में धुलजी पिता मावजी पटेल की भूमि स्थित है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार कान्तिलाल पिता देवजी पटेल खसरा नम्बर 4435/2740 रकबा 0.01 हेक्टेयर व बिलानाम 0.03 हेक्टेयर खसरा संख्या 2740 स्थित होना उल्लेखित किया गया।

प्रार्थीगण के विद्ववान अधिवक्ता एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन करते हुए पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड, तहसीलदार डूंगरपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खसरा संख्या 4606/2774 रकबा 0.01 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी अमरा पिता रामा पटेल द्वारा बताए गए स्थान से अन्यत्र स्थान पर चित्रित/तरमीम है एवं गत सेटलमेंट रिकॉर्ड नक्शा लटठ़ा जीर्ण शीर्ण एवं कटा फटा होने से तुलनात्मक आराजी संख्या 4361/2399 रकबा 1 बिस्वा की तरमीम/चित्रण किस स्थान पर है, स्पष्ट नही है तथा नामान्तरण संख्या 2366 से अमरा पिता रामा, नवल पत्नी अमरा पटेल का नामान्तरण दर्ज किया गया था जिसमें नामान्तरण के साथ नक्शा चित्रण नही पाया गया, जिस स्थान पर अमरा पिता रामा पटेल वगैराह अपना नक्शा चित्रण चाह रहा है उस स्थान पर खसरा संख्या 2752 रकबा 0.16 हेक्टेयर खातेदार धुलजी पिता मावजी पटेल निवासी थाणा के नाम चित्रण/तरमीम है जोकी सेटलमेंट के द्वारा नक्शा चित्रण होना पाया गया तथा उक्त भूमि पर वर्तमान में श्री रामजी पिता हकसी पटेल वगैराह द्वारा काबिज होने से राजस्व ग्राम थाणा तहसील डूंगरपुर की वर्तमान आराजी खसरा संख्या 4606/2774 रकबा 0.0100 हेक्टेयर का चित्रण नही किया जाना उचित पाता हूँ।

उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर

उपरोक्त विवेचना को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्व ग्राम थाणा की वादग्रस्त आराजी नम्बर 4606/2774 रकबा 0.0100 हेक्टयेर का चित्रण नही किया जा सकता है ऐसी परिस्थिति में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर खारीज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 24..09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(सांवरलाल आबासरा)
उपखण्ड अधिकारी,
डूँगरपुर